न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 10/2022

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 केलाराम पुत्र भेलाराम 2 संग्राम पुत्र भोलाराम जातियान जाट निवासीगण ग्राम अठियासन तहसील व जिला नागौर।		1 मंजू पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी अठियासन तहसील व जिला नागौर। 2 ग्राम पंचायत अठियासन जरिये सरपंच ग्राम पंचायत अठियासन। 3 ग्राम पंचायत अठियासन जरिये ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत अठियासन।

उपस्थिति–

1 श्री अशोक कुमार वैष्णव अधिवक्ता, प्रार्थीगण की ओर से।

2 श्री हनुमानराम दाधीच, अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

निर्णय

दिनांक 05.07.2023

1– प्रकरण इस प्रकार है कि प्रस्तुत निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अठियासन द्वारा पट्टा संख्या 12 बुक नम्बर 13, दिनांक 16.11.21 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 15.02.2022 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 18.02.2022 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री हनुमानराम दाधीच, अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 02 व 03 बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में ई चालान दिनांक 04.01.2022 की फोटोप्रति, पट्टा संख्या 12 दिनांक 16.11.21 की फोटोप्रति, एफआईआर की फोटोप्रति, बैठक कार्यवाही रजिस्टर की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत अठियासन के निर्णय दिनांक 06.01.2022 की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का रेकर्ड मंगाया गया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि –

2(1)– पट्टा जेर निगरानी विधि व तथ्यों के विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है।

2(2)– पट्टा जेर निगरानी पंचायत एक्ट व पंचायत राज नियम 1996 के कायदो की अवहेलना करते हुए जारी किया गया हैं, जो विधि विरूद्व होने से अपास्त होने योग्य है।

2(3)–आबादी भूमि में उक्त पटटा नियम 157 (1) के तहत जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि 50 वर्ष से अधिक पूर्व में निर्मित मकानों हेतु जारी किया जाता है जबकि उक्त पटटे में अप्रार्थी संख्या 1 मंजू स्वयं की उम्र 37 वर्ष है तथा अठियासन की बहू है और शादी को अभी 15 वर्ष भी नहीं हुए है इससे स्पष्ट होता है कि उक्त पटटा राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियमों के विरूद्व जारी किया गया है। उक्त पटटा जारी करने से पूर्व ग्राम पंचायत ने न तो मौका निरीक्षण किया तथा ना ही नाप चौप किया, चूंकि उक्त स्थान के आधे से ज्यादा भाग पर प्रार्थीगण के पिता भोलाराम पुत्र नारायण जाति जाट के नाम से पटटा जारी किया गया है। उक्त पटटे की उतरी पश्चिमी हिस्से को मिलाते हुए वर्तमान के ग्राम पंचायत अठियासन द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के नाम गलत पटटा जारी किया गया है। जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को होने पर एक आपति पेश की, जिस पर ग्राम पंचायत अठियासन ने दिनांक 5.1.2022 को एक प्रस्ताव संख्या 1 पारित किया, जिसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया हक पटटा संख्या 12 बुक नम्बर 13 में मंजू पत्नी पहेन्द्र के पटटे पर केलाराम पुत्र भेलाराम जाति जाट द्वारा पेश की गई आपति के आधार पर पुनः मौका निरीक्षण किया गया, निरीक्षण कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर मंजू पत्नी महेन्द्र पटटा संख्या 12 बुक नम्बर 13 में पडोसी आदि द्वारा बताया गया है कि उक्त पटटा गलत वन गया हैं, जिसमें अठोस पडोस रास्ता सी नहीं लिया गया हैं, उक्त आधार पर इस पटटे को सर्वसम्मति से निरस्त करने का प्रस्ताव सर्वसम्पति से पारित किया जाता है। इस प्रकार उक्त पटटा ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से खारिज किया जा चुका है। चूंकि उक्त पटटा उप पंजीयक कार्यालय नागौर मे पंजीबद्व दिनांक 15.12.21 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1346 पृष्ठ संख्या 9 क्रम संख्या 202103099108829 पर पंजीबद्व हो चुका हैं, जिसको खारिज करने का अधिकार सिर्फ न्यायालय हाजा को हैं, इसलिए उक्त अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई।

2(4)– राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 157 मे पुराने गृहो का विनियमितीकरण द्वारा पटटे जारी किये जाते हैं, उक्त अप्रार्थी संख्या 1 ने पंचायत को धोखे में रखकर 50 वर्ष से ज्यादा पुराना गलत बताकर तथा गलत जगह का पटटा बनाया हैं, जो अपास्त होने योग्य है।

3– अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि उक्त पट्टा न्यायालय हाजा द्वारा खारिज किया जाता है तो उनको कोई आपत्ति नहीं है।

अपर कलक्टर, नागौर

4– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत अठियासन के पट्टा 12 बुक नम्बर 13 दिनांक 16.11.2021 जारी किया गया, को निरस्त किये जाने को लेकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। जैर निगरानी के अवलोकन से ज्ञात होता है कार्यालय ग्राम पंचायत अठियासन, पंचायत समिति नागौर द्वारा दिनांक 06.01.2022 को उक्त पट्टे को निरस्त करने हेतु प्रस्ताव लिया जाना प्रतीत होता है।

5– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत अठियासन, पंचायत समिति नागौर द्वारा जारी पट्टा संख्या 12 दिनांक 16.11.2021 को निरस्त किया जाता है।

6– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर